

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>श्याम सुन्दर साद बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 167 / 2019</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>23.10.19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्याम सुन्दर साद, पता पहाड़गंज द्वितीय, फिल्टर हाउस के पीछे, लालसागर किशोरबाग, मण्डोर रोड़, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 26.07.19 में उसके द्वारा (1) श्रीमान् न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर में विकास अधिकारी पंचायत समिति मण्डोर जिला जोधपुर द्वारा ग्राम पंचायत सुरपुरा के राजस्व ग्राम आंगणवा के पट्टा धारक देवाराम पुत्र डालूराम जाति सुथार पट्टा की पुननिरीक्षण निगरानी संख्या 25/2016 दिनांक 02.12.2016 की पेश की गई के आजतक कार्यवाही आदेश/निर्णय की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रति उपलब्ध कराने, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1410 दिनांक 25.09.19 प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया कि अपर जिला कलक्टर द्वितीय जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी को कार्यालय के पत्रांक 1007 दिनांक 13.08.19 द्वारा सूचित किया जा चुका है कि श्रीमान् जिला कलक्टर जोधपुर के न्यायालय से स्थानान्तरण होकर अति. जिला कलक्टर द्वितीय जोधपुर के न्यायालय को सुनवाई हेतु प्राप्त पंचायत निगरानी संख्या 34/19 अनवान विकास अधिकारी, पंचायत समिति मण्डोर बनाम देवाराम पट्टा संख्या 28 को निरस्त कराने हेतु अति. कलक्टर द्वितीय जोधपुर के न्यायालय में दर्ज की गई, उक्त प्रकरण में वर्तमान में विचाराधीन है तथा आदेश/निर्णय नहीं हुआ है। उक्त प्रकरण में वर्तमान में विचाराधीन है तथा आदेश/निर्णय नहीं हुआ है। प्रकरण में निर्णय होने के पश्चात् चाही गई सूचना दी जा सकती है। चूंकि प्रार्थी प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार नहीं होने एवं प्रकरण के विचाराधीन रहते सूचना नहीं देने बाबत् प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश सुनाया गया।</p>	

